संख्या–1300 / 41–11–62 यो0 / 07

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

666
9-8-11

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

979
10/8/11

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2011

विषय– केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वाराणसी मेगा प्रोजेक्ट फेज–2 योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या– 1917 / 6– 1–1(306) / वारा0–मे0प्रो0–फेज–2–के0 यो0 / 2010 दिनांक 02 जून, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वाराणसी मेगा प्रोजेक्ट फेज–2 योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0–424.89 लाख (रूपये चार करोड़ चौबीस लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– शासनादेश सं0–905 / 41–2009–62 यो0 / 07 दिनांक–05 जून, 2009 द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु रू0–708.16 लाख की प्रथम किश्त स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी, पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

2– योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

3– कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र, शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित / राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

6– योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार तथा त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)– उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–44 के लेखा शीर्षक–5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 80–सामान्य– 104–संवर्धन तथा प्रचार–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–योजनायें/0103–डेस्टीनेशन डेवलपमेन्ट–वाराणसी फेज–2–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग करके वहन किया जायेगा।

(4)– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–931/दस–2011 दिनांक 26 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव

संख्या–1300 (1)/41–2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2– सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
3– मण्डलायुक्त, वाराणसी/जिलाधिकारी, वाराणसी।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7/नियोजन अनुभाग–4
8– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
9– श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब–साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
विशेष सचिव